

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1


(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप
ग) परियोजना की लागत।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :- | विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत चोपता से डडुवागाढ़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।
संलग्न है।
रु० 28.64 लाख
सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
संलग्न है।
कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। |
| 2 | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- | 0.404 हे० सिविल, कुल 0.404 हे० वन भूमि |
| 3 | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :-
क) परिवारों की संख्या :-
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) | शून्य
शून्य
शून्य |
| 4 | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) | अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। |
| 5 | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये) | संलग्न है। |
| 6 | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। | अनुसूची संलग्न है। |


तिथि 03-07-2019

स्थान - थराली


खण्डीय असीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


(इ० जगदीश सिंह रावत)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली, (चमोली)